5-5-18 ਦਰਖਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਇਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ
ਗਿਆ। ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਨਕਲ ਫਰੀਕ
ਦੋਮ ਦਰਖਾਸਤ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ
ਮਿਤੀ 9-5-18 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਦ,

9-5-18 ਦਰਖਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਇਲ
ਫਰੀਕ ਦੋਮ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਮਿਸਲ ਹੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾਖਲ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇ। ਦ,

Scanned by CamScanner

(2)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

———वादी

बनाम

1. गुरचरणसिंह पुत्र मुकन्दसिंह जाति जटसिख निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. निर्मलसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. कुलदीपसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. बलकौर सिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. वीरपालकौर पत्नि सुखमेन्द्रसिंह पुत्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी नई खुन्जा हनुमानगढ़ जक्शन।
6. जसविन्द्र कौर पत्नि इकबालसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. बैंक ऑफ बड़ौदा हनुमानगढ़ जक्शन।

———प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद संख्या :– 67 सन् 2018
दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

उपस्थित :–

1. श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता — वादिगण
2. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता — प्रतिवादी सं. 1 ता 6

निर्णय **दिनांक :–** 9-4-18

संक्षेप रूप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 गुरचरणसिंह के नाम चक 42 एनजीसी के खाता सं. 26/22 मे 2.783 है0 मय गै.मु. व चक 46 एनजीसी खाता सं. 1/16 मे 0.633 है0 मय गै.मु. दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि पूर्व मे वादी के दादा स्व. मुकन्दसिंह की भूमि थी जो उनके फौत होने पर वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 पर विरासतन औद हुई। उक्त वर्णित भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण का जन्म अधिकार है। चूंकि अब उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 ने घरूबंटवारा कर लिया है तथा उक्त घरूबंटवारा होने के उपरांत प्रतिवादी सं. 5 व 6 ने घरूबंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है इसके बाद वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 को चक 42 एनजीसी के खाता सं. 26/22 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.783 है0 भूमि मय गै.मु. बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी सं. 1 को अपने स्वयं के नाम चक 45 एनजीसी के खाता सं. 11/16 की 0.633 है0 भूमि प्राप्त हुई

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

है। अतः घोषणा की जावे कि चक 42 एनजीसी के खाता सं. 26/22 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.783 है0 भूमि मय गै.मु. बहिस्सा बराबर के वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 खातेदार काश्तकार है व चक 42 एनजीसी के खाता सं. 26/22 मे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की ओर श्री सुरेन्द्र सिहाग विद्वान अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

उभय पक्ष वादी/प्रतिवादीगण राजीनामा पेश कर कथन किया कि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 गुरचरणसिंह के नाम चक 42 एनजीसी के खाता सं. 26/22 मे 2.783 है0 मय गै.मु. व चक 46 एनजीसी खाता सं. 1/16 मे 0.633 है0 मय गै.मु. दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि पूर्व मे वादी के दादा स्व. मुकन्दसिंह की भूमि थी जो उनके फौत होने पर वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 पर विरासतन औद हुई। उक्त वर्णित भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण का जन्म अधिकार है। चूंकि अब उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 ने घरूबंटवारा कर लिया है तथा उक्त घरूबंटवारा होने के उपरांत प्रतिवादी सं. 5 व 6 ने घरूबंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है इसके बाद वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 को चक 42 एनजीसी के खाता सं. 26/22 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.783 है0 भूमि मय गै.मु. बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी सं. 1 को अपने स्वयं के नाम चक 45 एनजीसी के खाता सं. 11/16 की 0.633 है0 भूमि प्राप्त हुई है। चक 42 एनजीसी के खाता सं. 26/22 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.783 है0 भूमि मय गै.मु. बहिस्सा बराबर के वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तो व चक 42 एनजीसी के खाता सं. 26/22 मे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावें तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति एतराज नही है। अतः राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जावें।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण वादी/प्रतिवादीगण राजीनामा मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं राजीनामा का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 गुरचरणसिंह के नाम चक 42 एनजीसी के खाता सं. 26/22 मे 2.783 है0 मय गै.मु. व चक 46 एनजीसी खाता सं. 1/16 मे 0.633 है0 मय गै.मु. दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित

सहायक कलक्टर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

भूमि पूर्व मे वादी के दादा स्व. मुकन्दसिंह की भूमि थी जो उनके फौत होने पर वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 पर विरासतन औद हुई। उक्त वर्णित भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण का जन्म अधिकार है। चूंकि अब उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 ने घरूबंटवारा कर लिया है तथा उक्त घरूबंटवारा होने के उपरांत प्रतिवादी सं. 5 व 6 ने घरूबंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है इसके बाद वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 को चक 42 एनजीसी के खाता सं. 26/22 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.783 है0 भूमि मय गै.मु. बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी सं. 1 को अपने स्वयं के नाम चक 45 एनजीसी के खाता सं. 11/16 की 0.633 है0 भूमि प्राप्त हुई है। चक 42 एनजीसी के खाता सं. 26/22 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.783 है0 भूमि मय गै.मु. बहिस्सा बराबर के वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तो व चक 42 एनजीसी के खाता सं. 26/22 मे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावें तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति एतराज नही है, राजीनामा मे जाहिर किया गया तथा मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। वादपत्र मे मुख्य अनुतोष प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के विरूद्ध चाहा गया है जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 का आपस मे राजीनामा हो गया है। ऐसी स्थिति मे दावा किसी प्रकार का कोई विवाद नही होने के कारण तथा मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने मे उभय पक्ष सहमत होने होने के कारण दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादीगण चक 42 एनजीसी के खाता सं. 26/22 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.783 है0 भूमि मय गै.मु. बहिस्सा बराबर के वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 खातेदार काश्तकार है व चक 42 एनजीसी के खाता सं. 26/22 मे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण चुकता होने पर उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। वाद व्यय उभय पक्ष वादी/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9-4-18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी, हनुमानगढ़

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

———वादी

बनाम

1. गुरचरणसिह पुत्र मुकन्दसिंह जाति जटसिख निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. निर्मलसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. कुलदीपसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. बलकौर सिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. वीरपालकौर पत्नि सुखमेन्द्रसिंह पुत्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी नई खुन्जा हनुमानगढ़ जक्शन।
6. जसविन्द्र कौर पत्नि इकबालसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. बैंक ऑफ बड़ौदा हनुमानगढ़ जक्शन।

———प्रतिवादीगण

वाद संख्या :– 67 सन् 2018 निर्णय दिनांक .....
दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

डिक्री

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आरएएस समक्ष अभिभाषक वादी श्री इन्द्राज गोदारा तथा अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 श्री सुरेन्द्र सिहाग की उपस्थिति मे निर्णय प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादीगण चक 42 एनजीसी के खाता सं. 26/22 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.783 है0 भूमि मय गै.मु. बहिस्सा बराबर के वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 खातेदार काश्तकार है व चक 42 एनजीसी के खाता सं. 26/22 मे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण चुकता होने पर उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। व्यय वाद उभय पक्ष वादी/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेगें। आज दिनांक 9-4-18 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़

सहायक कलैक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner